

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :- रा0खा0आ0 (शि0) पलामू/PDS-02/2022 - 418
प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 07.05.2024

विषय:- परिवादी श्री रामदेव महतो, कादलकुर्मी, मोहम्मदगंज, जिला-पलामू से
प्राप्त परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिवादी श्री रामदेव महतो, कादलकुर्मी, मोहम्मदगंज, जिला-पलामू का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा कादलकुर्मी ग्राम में जन वितरण प्रणाली विक्रेता, Jai Maa SHG, अनु0 सं0-82/2011 एवं Devi SHG, अनु0 सं0-84/2012 द्वारा PDS दुकान के संचालन में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। परिवाद पत्र में यह भी आरोप है कि निलंबित होने पर उक्त PDS विक्रेता रिश्वत देकर निलंबन मुक्त हो जाते हैं। यह भी कि पूर्व में कई स्तरों पर इसकी शिकायत की गई किन्तु जिले के पदाधिकारियों द्वारा इसे दबाने का भी आरोप लगाया गया है। परिवाद पत्र में उपरोक्त डीलरों द्वारा मृत कार्डधारियों का नाम हटाने हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं करने, अयोग्य व्यक्तियों का राशन कार्ड बनवाने एवं दो वर्षों से अधिक समय से लाभुकों को किराशन तेल का वितरण नहीं करने सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा एक अन्य परिवाद पत्र आयोग को उपलब्ध कराया गया है जिसमें कादलकुर्मी ग्राम में संचालित महिला समूह के निलंबन के दौरान दूसरे गांव के डीलर को प्रभार दिये जाने के मामले में उनके द्वारा किये गये शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा गलत एवं आधारहीन तथ्य अपलोड करते हुए संबंधित शिकायत को निस्तारित कर दिये जाने का आरोप लगाया गया है। परिवादी का आरोप है कि उक्त मामले में आरोपित पदाधिकारी से ही प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर मामले को समाप्त कर दिया गया, जो अनुचित है।

अतः प्राप्त परिवाद पत्रों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा मे,

- माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली ।
- खाद्या आयुक्त महोदय, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।
- उप सचिव महोदय खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार राँची ।
- उप निदेशक महोदय खाद्य, पलामू, पलामू प्रमंडल कार्यालय मेदिनीनगर, पलामू ।
- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह- अपर समहार्ता जिला समहरणालय, पलामू ।

विषय :- भारत सरकार (N.R.L.M) एवं J.S.L.P.S के प्राक्धानो के तहत प्रखण्ड मोहम्मदगंज के ग्राम कादल कुर्मी के निबधित महिल समूह को यथाशीघ्र जनवितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति निर्गत कर दुकान संचालित कराने नियम विरुद्ध महिला समूह के नाम पर दुकान संचालित रख कर अवैध असुली करने वाले सक्षम अधिकारी के विरुद्ध विधिसम्मत कारवाई करने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग :- ग्राम कादल कुर्मी के राशन कार्डधारीयो ग्रामिण एवं जन प्रतिनिधियो द्वारा दी गई शिकायत अनुरोध पत्र आवेदन दिनांक 21.03.2014 दिनांक 04.09.2023 दिनांक 29.09.2023 दिनांक 26.10.2023 दिनांक 31.10.2023 दिनांक 13.12.2023 एवं अन्य आवेदन और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 446 दिनांक 16.05.2020 पत्रांक 856 और पत्रांक 857 दिनांक 04.09.2023 पत्रांक 379 दिनांक 29.03.2023 जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू द्वारा निर्गत आदेश पत्र पत्रांक 785 दिनांक 16.05.2020 और झापांक 1312 दिनांक 26.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सादर सूचित कर कहना है कि प्रखण्ड मोहम्मदगंज अंतर्गत ग्राम - कादल कुर्मी मे दो जन वितरण प्रणाली दुकान महिला समूह JAI MAASHG अनुज्ञप्ति सं0 82/2011 और DEVI SHG अनुज्ञप्ति सं0 84/2012 संचालित होते आ रही है उक्त दोनो दुकान का संचालन बालेशवर यादव और उपेन्द्र यादव उर्फ उपेन्द्र मेहता करते आ रहे है जो नियम विरुद्ध है उक्त दोनो समूह कईयनो बार निलंबित हुए है और अत्यधीक रिश्वत देकर निलम्बन मुक्त हो जाते है जो जाँच का मुख्य बिन्दु है।

- दिनांक 10.03.2014 को ग्रामिणो एवं जन प्रतिनिधियो द्वारा उक्त दोनो दुकान के विरुद्ध कारवाई हेतु उप सचिव खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखण्ड सरकार राँची, उपायुक्त पलामू, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कादल कुर्मी को शिकायत आवेदन पत्र दी गई थी जिसका सावक्ष 04 पन्ना पृष्ठ सं0 01 से 04 तक सलान है उक्त शिकायत के बाद मोटी रिश्वत लेकर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी निलम्बन मुक्त करा देते है और कारवाई नही कर उन्हे बचा देते है जिसके कारण उक्त दोनो समूह का मनोबल बढ़ जाता है और दोनो के समूह के अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष मनमानी करने लगते है दुकान संचालन मे मिलने वाला प्रोत्साहन राशी राशन वितरण का खाली बोरा का राशी को समूह के अन्य सदस्य को नही बाटने के कारण सभी सदस्य बैठक से अलग हो गये जिसके कारण समूह उक्त दोनो समूह टुट गया है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दु है।

मेरे द्वारा दी गई शिकायत आवेदन के आलोक मे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मोहम्मदगंज के पत्र पत्रांक 446 दिनांक 16.04.2022 के जाँच प्रतिवेदन के आलोक मे जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी पलामू के आदेश पत्र झांपक 785 दिनांक 16.05.2020 के आदेश के पारा 02 मे जिक है कि अध्यक्ष संगिता देवी से पूछताछ के क्रम मे समूह का बैठक एवं उठाव वितरण से संबधित संघारित पंजी की मांग किए जाने पर प्रस्तुत नही किए जिसे स्पष्ट है कि समूह का संचालन नियम अनुकूल नही किया जा रहा था एवं है । जिसका सावक्ष पृष्ठ सं0 5 पर सलान है लेकिन अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर पुनः निलंबन मुक्त कर देते है और जन वितरण प्रणाली दुकानदार को गरीब राशन कार्ड धारीयो को शोषन करने/ लुटने का छूट दे देते है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दु है

- JSLPS/PLA/BMMU/MOH/127 दिनांक 29.03.2023 के पत्र के आलोक मे अचल अधिकारी मोहम्मदगंज - सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 379 दिनांक 29.03.2023 द्वारा

Handwritten signature

M.S
24.4.24
one copy received
24.4.24
12-2-24

12.2.24

01/2024 किया
जाति
12.02.2024

मोहम्मदगंज प्रखण्ड के सभी 16 महिला समूह को आदेश / निदेश दिए की 01 सप्ताह के अंदर प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक J.S.L.P.S मोहम्मदगंज प्रखण्ड से समन्वय स्थापित कर समूह का निबंधन कराना सुनिश्चित किया जाए लेकिन ग्राम पंचायत कादलकुर्मी के अनुज्ञापिधारी महिला समूह नही होने के कारण आज तक निबंधित नही हुआ है जिसका साक्ष पृष्ठ सं0 6 और 7 पर सलंगन है कि ग्राम कादल कुर्मी पंचायत मे 33 महिला समूह निबंधित है जिसमे 16 महिला समूह वर्ष 2018 से नियमित बैठक करते आ रहे है और आय व्याय का अकेक्षण J.S.L.P.S के द्वारा भी होते आ रहा है और उक्त महिला समूह के सदस्य द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञापि हेतु आवेदन भी दी गई लेकिन अधिकारी बिना रिश्वत के लाईसेंस नही निर्गत किए और वही दोनो दुकानदार JAI MAA SHG अनुज्ञापि सं0 82/2011 और DEVI SHG अनुज्ञापि सं0 84/2012 को खाद्यान उपल्बध कराते हुए गरीबो को लुटने का छुट दे दिए है जो जाँच एवं करवाई का मुख्य बिन्दू है।

5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश पत्र ज्ञापांक 1312 दिनांक 26.10.2023 के द्वारा सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू कों सूचनार्थ एवं अनुपालन प्रेसित आदेश और जिला प्रबंधक J.S.L.P.S पलामू को भी सूचना प्रेसित किए की सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अपने अपने प्रखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत महिल समूह को प्रदत्त जन वितरण प्रणाली दुकान कि अनुज्ञापि से संबधित सूचि पुन विवरणी के साथ J.S.L.P.S उपल्बध कराते हुए अकेक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक किया जा सके लेकिन तत्कालिन मोहम्मदगंज प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी उक्त पत्र के आड मे सभी जन वितरण महिला समूह को हडका कर डराकर मोटी मोटी रिश्वत वसूल कर बिना अकेक्षण का कार्य कराये बैगर खाद्यान उपल्बध कराते जा रहे है और फर्जी समूह संचालक को लुटने का छुट दे रखे है जो घोर अनयाय है जो जाँच का बिन्दू है जिसका साक्ष आदेश पत्र की छाया प्रति 08 पर सलंगन है एवं J.S.L.P.S लॉगिन पर भी देखा जा सकता है कि मोहम्मदगंज प्रखण्ड के निबंधित जन वितरण प्रणाली दुकान का नाम आज तक नही चढा है क्योकि आज कि तिथि तक अधिकांश समूह का नाम नही चढा है जिसमे JAI MAA SHG अनुज्ञापि सं0 82/2011 और DEVI SHG अनुज्ञापि सं0 84/2012 शामिल है जो जाँच एवं करवाई का मुख्य बिन्दू है।
6. दिनांक 03.09.2023 को कादल कुर्मी के ग्रामिण जनता के घोर आकोश को देखते हुए ग्राम कादल कुर्मी के माननीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी एवं पंचायत समिति सदस्य और 85 ग्रामिणो का हस्ताक्षर युक्त पत्र अंचल पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज को आवेदन चन्दन अनुसेवक के द्वारा दी गई उक्त आवेदन के आलोक मे पुनः अंचल पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज अपने पत्र पत्रांक 856 और 857 दिनांक 04.09.2023 के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू को निलबन करने हेतु पत्र प्रेसित किए और मामले को शांत करा दिये और पुनः ग्रामिणो को 05से 07 किलो मिटर दुर राशन लेने के लिए मजबूर कर दिए लेकिन नया जन वितरण प्रणाली का लाईसेंस भारत सरकार (N.R.L.M) एवं J.S.L.P.S के प्रावधानो के तहत निबंधित महिला समूह का निर्माण हेतु कारवाई नही किए जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है।
07. पुनः दिनांक 28.09.2023 को ग्राम कादल कुर्मी के ग्रामिण राशन कार्डधारी जनता एक राय मत होकर 228 व्यक्तियो का संयुक्त हस्ताक्षर से माननीय राजपाल महोदय झारखण्ड प्रदेश राँची, उपायुक्त पलामू, और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन दिए की उक्त दोनो समूह JAI MAA SHG अनुज्ञापि सं0 82/2011 और DEVI SHG अनुज्ञापि सं0 84/2012 अनुज्ञापि रद करने और जाँच कर उचित कारवाई करने एवं नया अनुज्ञापि निर्गत करने के लिए उक्त दी गई आवेदन को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को दबाकर आज तक रखा गया है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है जिसका साक्ष साथ मे सलंगन है।
08. पुनः ग्रामिणो द्वारा इसकी शिकायत माननीय विधायक श्री कमलेश कुमार सिंह को दिए माननीय विधायक द्वारा उक्त आवेदन पर DSO पलामू को आवश्यक कारवाई हेतु दिनांक 25.10.2023 को आदेश दिए उक्त आदेश पत्र जिला आपूर्ति पलामू के कार्यलाय मे कार्यरत रीशन जी पावती साक्ष 26.10.2023 को दिए लेकिन उक्त आदेश को भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को दबाकर आज तक रखा गया है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है जिसका साक्ष साथ मे सलंगन है।

Bob

03

09. दिनांक 31.10.2023 को ग्राम पंचायत कादल कुर्मी के माननीय उप मुखिया श्रीमती बिनिता देवी आवेदन तैयार दिनांक 31.10.2023 को ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक शिकायत पत्र दिए जिसमें जिक्र है कि DEVI SSG अनुज्ञप्ति सं0 84/2012 का उच्च स्तरीय जाँच कर विधि समत कारवाई की जाये लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को दबाकर आज तक रखा गया है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है जिसका साक्ष्य साथ में सलान है।
10. मेरे द्वारा दिनांक 26.10.2023 को पुनः एक शिकायत पत्र DEVI SSG अनुज्ञप्ति सं0 84/2012 के द्वारा खाद्यान उठाव कर वितरण नहीं किए जाने के विरुद्ध शिकायत जिला आपूर्ति पलामू को दी गई थी लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को दबाकर आज तक रखा गया है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है जिसका साक्ष्य साथ में सलान है।
11. दिनांक 13.12.2023 को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पंचायत सचिवालय में लगा कैंप में भी ग्राम कादल कुर्मी के ग्रामिण एवं पंचायत समिति द्वारा आवेदन तैयार कर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज को दिए और अनुरोध किए की खाद्यान लेने 05 से 07 किलोमिटर दूर जाना पड़ता है तो वे पत्र पावती साक्ष्य दिए और बोले की 2017 से सरकार द्वारा लाईसेंस बनाने पर रोक लगाया गया है और प्रत्येक माह हमलोगों को मोटी रिश्वत जिला कार्यालय में देकर राशन प्रखण्ड में लाते है तो वितरण होता है लगभग 03 लाख रूपया खर्च लगेगा और वही डीलर को ही पुनः खाद्यान मिलेगा आप लोग इस पर सहमती पत्र दीजीएगा तो हम आगे बात करेगें नहीं तो हम क्या कर सकते है झारखण्ड सरकार का यही हाल है नीचे से उपर तक रिश्वत का एक कड़ी बना हुआ है जो घोर अन्याय है जाँच का बिन्दू है जिसका साक्ष्य मोहम्मदगंज प्रखण्ड से खाद्यान उपलब्ध कराने वाला माल वाहक गाड़ी के दुलाई बोरा के अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितना गाड़ी पर लोड करने की छमता है और कितना बोरा एक बार में पहुँचाया जाता है जो जाँच एवं करवाई का मुख्य बिन्दू है।
12. प्रखंड मोहम्मदगंज अन्तर्गत जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार अनुज्ञाप्तीधारियों में से कोई अनुज्ञाप्तीधारी का उम्र- 60- 80 वर्ष के बिच हो गया है और अत्यधिक रिश्वत लेकर लाईसेन्स/अनुज्ञाप्ती का रेनुअल किया गया है/ किया जा रहा है। जो न्यायसंगत नहीं है यह घोर अन्याय है जो जाँच एवं करवाई का मुख्या बिन्दु है।
13. ग्राम पंचायत कादलकुर्मी के ग्राम कादल में वितरण क्षेत्र में उक्त दोनो जन वितरण प्रणाली दुकानदार मृत कार्ड धारीयों का नाम हटाने हेतु उच्च अधिकारी को सुचित नहीं करते है और उक्त मृत व्यक्ति का राशन में सम्मिलत व्यक्ति को नहीं दे कर स्वयं खुले बाजार में बेच देते है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दु है।
14. ग्राम पंचायत कादलकुर्मी में वितरण क्षेत्र में अपवर्जन मानक को पालन न कर आयोध्य लाभार्थीयों को राशन कार्ड उच्च अधिकारीयों को मेल में लेकर राशन कार्ड बनवा कर राशन कार्डधारी लाभुको से जाँच के समय खडा कराकर कहवा देते है कि मुझे पुरा खाद्यान मिलता है एवं सही तौल मिलता है जिसके कारण बाराबर निलम्बन मुक्त होने का आधार बन जाता है एवं उसी अधार पर निलम्बन मुक्त हो जाते है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दु है।
15. एक व्यक्ति द्वारा अलग- अलग राशन में नाम को ग्राम- कादलकुर्मी जन -वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा नाम नहीं कटवा कर उनका संरक्षण देते हुए आधे खाद्यान लाभुको को देते है आधे खाद्यान उच्चे दामो में बेच देते है उक्त राशन कार्डधारी लाभुको से जाँच के समय खडा कराकर कहवा देते है कि मुझे पुरा खाद्यान मिलता है एवं सही तौल मिलता है जिसके कारण बाराबर निलम्बन मुक्त होने का आधार बन जाता है एवं उसी अधार पर निलम्बन मुक्त हो जाते है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दु है।
16. ग्राम पंचायत कादलकुर्मी के चारो जन- वितरण प्रणाली के दुकानदार अनुज्ञाप्तीधारी द्वारा किरोशीन तेल लगभग दो वर्षो से अधिक समय से राशन कार्ड धारीयों को नहीं उपलब्ध कराते है। कहते है कि डोर दू डिलेवरी अनुज्ञाप्ती धारी द्वारा तेल हमलोगों को हस्तागत नहीं कराया जाता है ना ही उपलब्ध कराया जाता है तो हमलोग कैसे उपलब्ध कराये जो जाँच/करवाई का बिन्दु है।

Rafiq

16. मेरे द्वारा दिनांक 26.10.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन तैयार कर 09 बिन्दुओं पर और दिनांक 29.11.2023 को आवेदन तैयार कर 07 बिन्दुओं पर सूचना की मांग किए जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू से किए सूचना नहीं मिलने के बाद दिनांक 29.11.2023 और 08.01.2024 को आवेदन तैयार कर प्रथम अपिलीय प्राधिकार - सह- उप निदेशक पलामू को आवेदन दिए लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया जिला आपूर्ति कार्यालय के बड़ा बाबु बोलते हैं कि जहाँ जाना है वहाँ जाइए नीचे से उपर तक एक रिश्त बांधा हुआ है कही कुछ नहीं होगा सारा सिस्टम ही इस में डूबा हुआ है अगर ज्यादा साहाना भूति आपको ग्रामिणों पर है तो बोलिए हम वही दोनो निलबित दोनो दुकान दार बालेशवर और उपेन्द्र को हम खाद्यान वितरण का अनुमति दिला देंगे कोई जाँच नहीं होगा नाही कोई सूचना मिलेगा जो घोर अन्नयाय है जो जाँच एवं करवाई का बिन्दू है।

अतः श्रीमान् गण से प्रार्थना है की उर्पयुक्त बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जाँच करा कर विधी सम्मत कारवाई करने / करवाने की कृपा की जाये एवं कि गई कारवाई से मुझे भी अवगत कराने की कृपा की जाय इस कार्य के लिए श्रीमान् गण का सदैव अभारी रहूँगा।

अनुलांक:- कुल 36 पन्नो मे
35

प्रतिलिपी:- अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद -सह-
मुख्य पदाधिकारी, मोहम्मदगंज, पलामू ।
को सुचनार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु
सादर सम्र्पित

आपका विश्वासी
रामदेव महतो
दि: 12-02-2024
रामदेव महतो
ग्राम+पो0- कादलकुर्मी, थाना-
मोहम्मदगंज, जिला- पलामू (झारखण्ड)
मो0- 7461815391

सेवा में,

1. उप सचिव महोदय,
खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची।
2. उपायुक्त महोदय,
मेदिनीनगर, पलामू।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय,
मेदिनीनगर, पलामू।
4. अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,
हुसैनाबाद, पलामू।
5. पंचायत सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत सचिवालय कादल कुर्मी।

विषय:- ग्राम कादल कुर्मी के अर्न्तगत जन वितरण प्रणाली दुकान से मिलने वाला समान में कि गई अनियमितता को जाँच कर कानूनी कार्यवाई करने के सम्बन्ध में,

महाशय,

निवेदन पूर्वक हम सभी लभान्वित हस्ताक्षरित ग्रामिणों का कहना है कि केरोशिन तेल सरकारी दर से बहुत ज्यादा पैसा भय दिखाकर मनमानी दर 18 रूपया 75 पैसा, यानि 75 रूपया में चार लिटर हम कार्ड धारियों को दिया जाता है और सरकारी नियमानुसार कैश मेमो कि माँग करने पर पंचायत प्रतिनिधी और प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहमदगंज से मिलकर झूठा केस में फसाने का धमकी भी समूह के संचालक बिचौलिया देते हैं। लगभग दो वर्ष के बिच दो बार केरोशिन तेल का काला बजारी भी कर दिया गया है साथ ही गरीबों को मिलने वाला बी० पी० एल चावल का भी कालाबजारी कि गई है। जो समूह के बिचौलिया द्वारा फर्जी काटा गया कैशमेमो को जाँच करने से साफ पता चल जाएगा ?

कृ०पृ०उ०

Received
21-3-14
S

21/3/14
P.S.






जिला प्रशासनिक निदेशानुसार दिवाल लेखन विवरणी लाभूक का नाम दर,स्टोक विवरणी भी अभी तक दर्शाया नही गया है। जिसके कारण पूर्ण लाभूक को लाभ भी नही मिल पाता है। बिचौलिया द्वारा कहा जाता है कि मेरे यहाँ सूची मे नही है। रेलवे उस पार दूसरे समूह के दुकान पास जाइये।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि जाँच कर न्याय सम्मत कार्यवाई कि जाए ताकि जनवितरण प्रणाली दुकान से मिलने वाली समान उचित मूल्य और सही तौल समय पर मिल सके इस कार्य के लिए हम सभी श्रीमान का सदा अमारी रहेंगे।

श्रीमान प्रसाद जी
विश्वभोजन
उपमुखिया
हस्ताक्षर: पंचायत कोटल कुर्मी
श्री. मोहनचन्द्र

लाभन्यित कार्डधारीयो का नाम कार्ड सं०	पिता/पति का नाम	हस्ताक्षर
(1) रमेश मेहता	स्व. मदन मेहता	कन्धाई मेहता
(2) राज कर्ण मेहता	शाधू मेहता	रामचर्णी मेहता
(3) मीती साव 0726249	स्व. लखन साव	मीती साव
(4) विष्णु साव 0683459	स्व. लखन साव	मनोज साव
(5) राज कर्ण मेहता 0701969	श्री. 2412 मेहता	राज कर्ण मेहता
(6) सुरेश मेहता 0675702	स्व. मंगल मेहता	पार्वती देवी
(7) राजेश्वर मेहता 0701967	स्व. मुनी मेहता	उमेश मेहता
(8) राजेश्वर मेहता 0659412	स्व. जीवित मेहता	विष्णु मेहता
(9) अतारु मेहता 0774079	स्व. द्वेष चन्द्र मेहता	स्मि. देवी
(10) कृपा प्रसाद मेहता 1408	जीवित मेहता	उमेश देवी

3
24

(11) विभवभक्त मेहता 0701966	वधू महतो 99	मिथुन मेहता
(12) नरेश मेहता 0659416	स्व गुनी मेहता	नरेश मेहता
(13) श्रेया राम 0696394	स्व तन्वदेवी राम	जितेन्द्र चक्रवर्ती
(14) सीता राम मेहता 0696375	स्व महावीर मेहता	सौरा राम मेहता
(15) सत्यप्रिया कुमर 0736405	स्व गुरुदेव मेहता	मिशकल मेहता वि. वि. दुलारी देवी
(16) शोभिता मेहता 0691411	स्व सुधाभा मेहता	
(17) राम सवध मेहता 0728118	स्व सुधाभा मेहता	वि. वि. अमिता देवी 
(18) राम अश्विनी मेहता BPL No 22761 स्कोर नं 10	स्व सुधाभा मेहता	जासी देवी वि. वि. सु. गोविंद मेहता
(19) जय गोविंद मेहता BPL No 22950 स्कोर नं 15	स्व वरत महतो	
(20) राम प्रसाद राम 1774070369	सुर्या वंश राम	
(21) विभव प्रसाद राम 19596703028	स्व संशंकराज	संदेश कुमार
(22) प्रमोद राम 1393/0659008	स्व विजयंराम	प्रमोद राम 
(23) तुलसीराम 1762/0703029	राम प्रसाद राम	
(24) वंशी राव 1215	राम प्रसाद राम	Prasad Ram

33

(25) राजकुमार मेहता
BPL NO
22757 स्क्र-12

(26) रामरत्न मेहता
फिसि
0689128

(27) धर्मजीत मेहता
फिसि
0762945

(28) महेन्द्र कामांड
कार्ड सं 0736101

(29) अतुप मेहता
कार्ड सं 0729566

(30) कृष्णप्रताप मेहता
कार्ड सं 0703034

(31) आसपतीया कुंवर
कार्ड सं - 0729276

(32) पुंमेश मेहता
कार्ड सं 0729567

(33) मातीकचन्द्र मेहता
कार्ड सं 0728120

(34) बेलाश मेहता
कार्ड सं 0769403

(35) सिता मेहता
कार्ड सं 0715220

(36) माला मेहता
कार्ड सं 0715246

(37) केवल मेहता
कार्ड सं 0729269

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

स्व 02468 मेहता

33

38) सुरेश रजवार
1763/0704892

स्व लाल/रजवार

कलदा रजवार

39) रघुवंश मेहता
1463/0706413

स्व राधा मेहता

स्व अंबिका
कलदा

40) कलिमा कुंवर
1403/0654710

स्व लालनाथ मेहता

स्व कृष्ण
कलदा

41) राम गोविंद मेहता
1402/0659414

स्व हरी मेहता

स्व लोचन मेहता

(42) विगत राम

श्री वनवारी राम

विगत राम

43 वरेष्टा मेहता
BPL No 22826
स्कोर 13

स्व धनु मेहता

स्व वरेष्टा मेहता

(44) विश्वनाथ मेहता
BPL No 038038

स्व धनु मेहता

स्व विश्वनाथ मेहता

(45) लालनाथ मेहता
कांड सं-0915248

स्व धनु मेहता

स्व लालनाथ मेहता

(46) सुरेश मेहता
81558 0691410

स्व धनु मेहता

निरंजन मेहता

(47) विगत राम
कडि संख्या

स्व धनु मेहता

विगत राम मेहता

BPL No 22800
स्कोर 13

1780

27/3/2014

सुनिल राम

(48) सुनिल राम
B.P.L.N. 22992
स्कोर सं. 15

स्व राम विश्वनाथ

329

5
52

(49) रघुवीर महतो
कार्ड नं० 0728119

(50) विठ्ठलनाथ राम
8.0.1.7 92870-14

(51) उदय मैहरा
कार्ड नं० 0728127

(52) गोकुल राज कुशुवा
कार्ड नं० 067 1026

(53) सुशिला कुशुवा

(54) प्रदीप रांग
कार्ड नं० 0736408

शंकर चंदीका महतो

रामकिशोरनाथ

स्वच्छंदन मैहरा

रमेश शंकराजी रांग

शंकर शिव लाल महतो
उर्फ शिवाजी महतो

शंकर नलिन रांग

शंकर कृष्ण महतो

मिलान चिन्ह
शंकराजी महतो

उदय मैहरा

संजु देवी

कार्ड नं० 0728127
ग्राम पं०-कादल कर्मा
प्रखण्ड-भोटापुर
20132014
कार्ड नं० 10-06
ग्राम पं०-कादल कर्मा
प्रखण्ड-भोटापुर

सेवा में
श्रीमान अंचल पदाधिकारी महोदय
मोहम्मदगंज पलामू

विषय:- जय माँ संग (लाइसेंस नं- 82-11) जन वितरण दुकान
से माह अगस्त का राशन नही वितरण करने
के संबंध में

महोदय,
सेवा में सादर निवेदन है कि जन वितरण
प्रणाली जय माँ संघ द्वारा ग्राम कादल कुर्मी के
द्वारा सभी ग्रामीण जनता श्रीमान से नम्र निवेदन करते
हैं की जन वितरण प्रणाली दुकान से अभी तक
माह अगस्त का राशन वितरण नही किया गया है।
जबकी लोगों के द्वारा डीलर ने माह अगस्त का
व्याजमैट्रिक (पैचींग) भी करा लिया गया है। पूरे
दर डीलर के द्वारा यह कहा गया की हमने राशन

चौदन अगस्त का
04/09/2023

अगस्त माह का आवंटन नही हुआ है और राशन सितम्बर
में दिया जाएगा और 60 जो 100 के प्रकार में है उनसे ले इन्फार्म
के माध्यम से बात किया गया ता इन्फार्म वाले से राशन आवंटन हो गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है की जांच कर लोगों को
राशन दिलवाने की हृषा की जाए और जय माँ संघ
लाइसेंस नं:- (82-11) के डीलर पर उचित कारावाई की
जाए।


श्रीमान का विश्वासी ग्रामीण जनता
कादल कुर्मी

प्रतिलिपि:-

- 01. दुधेनाबाद विधायक सादर सूचनार्थ प्रेषित
- 02. उपनियंत्रक पदाधिकारी दुधेनाबाद प्रेषित
- 03. उपनियंत्रक पलामू सूचनार्थ प्रेषित ।

01 उषा देवी मुखिया
02 मेरी चंद्र साव
03 नालिशम
04 पार्षद रमेश
मुखिया देवी मुखिया
ग्राम पंचायत-कादलकुर्मी
प्रखण्ड-मोहम्मदगंज पलामू
दिनांक DCVR
3/09/2023
पंचायत समिति

2008 10/10/08



(4)

2008 10/10/08



(5)

2008 10/10/08



(6)

2008 10/10/08

(7)

2008 10/10/08

(8)

2008 10/10/08

(9)

2008 10/10/08

(10)

2008 10/10/08

(11)

2008 10/10/08



(12)

2008 10/10/08

(13)

2008 10/10/08



(14)

2008 10/10/08

(15)

2008 10/10/08

(16)

2008 10/10/08

(17)


2008 10/10/08

(18)

1.  सुन्दर सुन्दर

पिन्ना सुन्दर
विशाल सुन्दर


2.  सुन्दर सुन्दर

3.  सुन्दर सुन्दर

Santa Jela
कार्ड सुन्दर
कार्ड नं-03
मान व - कार्ड सुन्दर

4.  सुन्दर सुन्दर

5.  सुन्दर सुन्दर

6.  सुन्दर सुन्दर

7.  सुन्दर सुन्दर

8.  सुन्दर सुन्दर

9.  सुन्दर सुन्दर

10.  सुन्दर सुन्दर

11.  सुन्दर सुन्दर

12.  सुन्दर सुन्दर

13.  सुन्दर सुन्दर

14.  सुन्दर सुन्दर

15.  सुन्दर सुन्दर

16.  सुन्दर सुन्दर

जरीरा बेगम

कामरानी देवी

मुना कर्करे

शिव राम

फक देवी

Jeweler Ram

सजिंदर राम

चन्दन कुमार

पुन राम

पिपल राम

सरस्वती देवी

धर्मोत्तम कर्करे

संजु देवी

सरिता देवी

सरिता देवी

संतरा देवी

Ram chani Madia

महाकाश मठवा

भालुराम

मुसा

(60) सुनीता देवी

(70) शिव कर्करे

(80) नैफा रजवार

(80) कविता देवी

(80) अनिता देवी

(80) मनाज कर्करे

(80) राजेश राम

(80) सुनीता देवी

सेवा में,

माननीय राज्यपाल महोदय, झारखण्ड, पदेश राँची।

उपायुक्त महोदय, मेदिनीनगर, पलामू।

29-9-23

MAJ
29/9/23
विषय -

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मेदिनीनगर, पलामू।

मोहम्मदगंज प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम कादलकुर्मी में जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञप्ति रद्द/निर्गत कर विधीसम्मत दुकान संचालित कराने के सम्बंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक हम सभी ग्राम - कादलकुर्मी के हस्ताक्षरीतों व्यक्तियों का कहना है कि ग्राम - कादलकुर्मी के अन्तर्गत तीन जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थान जन संख्या अनुपात है जिसमें दो जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित है, जो विधीसम्मत नहीं है।

क्रमशः जय माँ एस.एस.जी. महिला समुह दुकान का संचालक श्री बालेश्वर यादव है और देवी एस.एस.जी. महिला समुह दुकान का संचालक श्री उपेन्द्र महतो (यादव) के द्वारा किया जाता है उक्त दोनों दुकान के संचालक द्वारा दुकान में खाद्य सामग्री वितरण के समय प्रत्येक राशन कार्डधारी से प्रत्येक युनिट पर आधा किलो राशन कम दिया जाता है फिर भी ग्रामीण भौन रहते हैं क्योंकि एक जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थान अभी तक रिक्त है। जब ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जाता है तो उक्त दोनों दुकानदार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया जाता है निलंबन के दौरान चार से पाँच किलो मिर्च टुर दुकानदार के पास ग्राम कादलकुर्मी के ग्रामीणों का आवंटन लगा दिया जाता है जिसके कारण घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी दृष्टिकोण सत्य एवं सही नहीं है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज के अधिकारी का संगरक्षण प्राप्त होने के कारण उक्त दोनों जन वितरण प्रणाली दुकान के जय माँ S.S.G महिला समुह संघ के संचालक श्री बालेश्वर यादव और Devi S.S.G महिला समुह के संचालक उपेन्द्र मेहता उर्फ यादव कई बार पूर्ण राशन की काला बाजारी भी किये हैं जिसके कारण कई बार निलंबित हुये हैं। साथ ही उक्त दोनों जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा वितरण के समय केश मेमो भी नहीं देते हैं साथ ही कॉपी पर भी लिखने के लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि किस माह में कौन - कौन सा सामग्री कितना - कितना दर है है लिख दिजिए-तो दोनों संचालक कहते हैं कि यह सब कार्य मेरा नहीं है जाकर एम.ओ. साहब से ऑर्डर करा लिजिए। जो अत्यंत दुख की बात है। हमारे कादलकुर्मी गाँव में J.S.L.P.S. के तहत 33 महिला समुह निबंधित हैं जिसमें पुरानी महिला समुह की संख्या 15 है जो वर्ष 2018 से नियमित बैठक करते आ रहे हैं तथा समुह का वार्षिक ओडित भी संस्था J.S.L.P.S. के तहत होते चला आ रहा है। लेकिन उक्त दोनों महिला समुह का ना ही कोई सप्ताहिक बैठक होता है ना उक्त दोनों समुह संस्था

323

JSLPS के तहत निबंधित है ना ही दोनों समुह का वार्षिक ऑडिट होता है। उक्त दोनों समुह के संचालक पदाधिकारियों को संरक्ष प्राप्त कर कईअन बार पूर्ण राशन कार्ड धारियों का वितरण भी नहीं किया जाता है कहा जाता है कि बाद में ले जाईएगा क्योंकि जिस दिन बायों मैट्रिक वितरण हेतु अंगुठा लगाया जाता है उसी समय कभी भी राशन नहीं देते है जो घोर अन्याय है। हमारे गाँव के माँ आजीविका शखी मंडल द्वारा कोरोना महामारी काल में कईअन सौ मास्क स्वयं निर्माण कर वितरण किये/कराये है। जो सराहनीय है।

अतः सहानुभुती पूर्वक विचार कर माँ आजीविका शखी मंडल और अन्य दो महिला समुह को विधिसम्मत करवाई कर/कराकर जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञाप्ती(लाईसेन्स) यथा शिघ्र निर्गत कर/ करा कर ग्राम- कादलकुर्मी को राहत प्रदान करने की अशिम कृपा कि जाए। क्योंकि दोनों जन वितरण प्रणाली वर्तमतान में राशन काला बाजारी करने के कारण निलंबित है।

अनुलग्नक
JSLPS संस्था में निबंधित महिला समुह
का सुची संलग्न है। (01पन्ना)

क्र० सं०	ग्रामिणों का हस्ताक्षर	राशन कार्ड संख्या
①	बिहारी प्रसाद राय	202007213666
②	ललिता देवी	202002547805
③	सोना राम बेहता	202002547819
④	वि.वि. सतीश देवी	202006693268
⑤	Khushi Kumari	202002547818
⑥	नन्दविश्वकामि	202002547950
⑦	गिता देवी	202002547951
⑧	वि.वि. मा. देवी	202006716735
9	राजश्री देवी	202005575650
10	सुमन देवी	202002547736

लगा में,

माननीय विधायक महोदय,
हुसैनोबाद हरिहरगज विधान सभा क्षेत्र, पलामू।

विषय :- मोहम्मदगंज प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम कादलकुर्मी में जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञापति रद्द/निर्गत कर विधीसम्मत दुकान संचालित कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक हम सभी ग्राम - कादलकुर्मी के हस्ताक्षरीतों व्यक्तियों का कहना है कि ग्राम - कादलकुर्मी के अन्तर्गत तीन जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थान जन संख्या अनुपात है जिसमें दो जन वितरण प्रणाली दुकान संचालित है, जो विधीसम्मत नहीं है।

क्रमशः जय मी एसएसजी महिला समुह दुकान का संचालक श्री बालेश्वर यादव है और देवी एसएसजी महिला समुह दुकान का संचालक श्री उपेन्द्र महता (यादव) के द्वारा किया जाता है उक्त दोनों दुकान के संचालक द्वारा दुकान में खाद्य सामग्री वितरण के समय प्रत्येक राशन कार्डधारी से प्रत्येक युनिट पर आधा किलो राशन कम दिया जाता है फिर भी ग्रामीण मौन रहते हैं क्योंकि एक जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थान अभी तक रिक्त है। जब ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जाता है तो उक्त दोनों दुकानदार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया जाता है निलंबन के दौरान चार से पाँच किलो मिटर दुर दुकानदार के पास ग्राम कादलकुर्मी के ग्रामीणों का आवंटन लगा दिया जाता है जिसके कारण घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो किसी भी दृष्टिकोण सत्य एवं सही नहीं है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज के अधिकारी का संग्रक्षण प्राप्त होने के कारण उक्त दोनों जन वितरण प्रणाली दुकान के जय मी S.S.G महिला समुह संघ के संचालक श्री बालेश्वर यादव और Devi S.S.G महिला समुह के संचालक उपेन्द्र मेहता उर्फ यादव कई

D.S.D.
पलामू
कामेश्वर
25/10/23
विधायक
हरिहरगज

बार पूर्ण राशन की काला बाजारी भी किये है जिसके कारण कई बार निलंबित हुये है। साथ ही उक्त दोनों जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा वितरण के समय केश मेमो भी नहीं देते है साथ ही कॉपी पर भी लिखने के लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि किस माह में कौन सा सामग्री कितना - कितना देर हे है लिख दिजिए तो दोनों संचालक कहते है कि यह सब कार्य मेरा नहीं है जाकर एम.ओ. साहब से ऑर्डर करा लिजिए। जो अत्यंत दुख की बात है। हमारे कादलकुर्मी गाँव में J.S.L.P.S. के तहत 33 महिला समुह निर्बंधित है जिसमें पुरानी महिला समुह की संख्या 15 है जो वर्ष 2018 से नियमित बैठक करते आ रहे है तथा नया समुह वार्षिक ऑडिट भी संस्था J.S.L.P.S. के तहत होते चला आ रहा है। लेकिन दोनों महिला समुह का ना ही कोई सप्ताहिक बैठक होता है ना उक्त दोनो समुह संस्था

26/10/23

JSLPS के तहत निबंधित है ना ही दोनों समुह का वार्षिक ऑडिट होता है। उक्त दोनों समुह के संचालक पदाधिकारियों को संरक्ष प्राप्त कर कईअन बार पूर्ण राशन कार्ड धारियों का वितरण भी नहीं किया जाता है कहा जाता है कि बाद में ले जाईएगा क्योंकि जिस दिन बायों मैट्रिक वितरण हेतु अंगुठा लगाया जाता है उसी समय कभी भी राशन नहीं देते है जो घोर अन्याय है। हमारे गाँव के माँ आजीविका शखी मंडल द्वारा क्रोना महामारी काल में कईअन सौ मास्क स्वयं निर्माण कर वितरण किये/कराये है। जो सराहनीय है।

अतः सहानुभुती पूर्वक विचार कर माँ आजीविका शखी मंडल और अन्य दो महिला समुह को विधिसम्मत करवाई कर/कराकर जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञाप्ती(लाईसेन्स) यथा शिघ्र निर्गत कर/ करा कर ग्राम- कादलकुर्मी को राहत प्रदान करने की अशिम कृपा कि जाए। क्योंकि दोनों जन वितरण प्रणाली वर्तमतान में राशन काला बाजारी करने के कारण निलंबित है।

अनुलग्नक

JSLPS संस्था में निबंधित महिला समुह का सुची संलग्न है। (01पन्ना)

क्र० सं०	ग्रामिणों का हस्ताक्षर	राशन कार्ड संख्या
①	विहारी प्रसाद राय	202007213666
②	ललिता देवी	202002547805
③	सौभाग्य शर्म मिश्रा	202002547819
④	नि.वि. सतीश देवी	202006693268
⑤	Khushi Kumari	202002547818
⑥	नन्दु विश्वकर्मि	202002547950
⑦	गिता देवी	202002547951
⑧	नि.वि. गान्धि देवी	202006716735
9	राजेश्वर देव	202005575650
10	सुमन देवी	202002547736

3

- 11) नि. वि. विनता देवी — 202006717020
- 12) राम-चनी मेहता 202800560499
- 13) विपिन कुंवर से 202007650443
- 14) राज मेहता 202002547978
- 15) नि. वि. शारदा देवी — 202002547979
- 16) असपति कुंवर 202002547980
- 17) पुनम कुमारी 202800983543
- 18) पुष्पा माता देवी 202002547839
- 19) वि. वि. राजा 2 मेहता 202002547984
- 20) Kamlesh Mehta - 202006691552
- 21) Kamlesh Mehta 202006691983
- 22) अमृता प्र. मेहता 202002547981
- 23) सुनिल मेहता 202002547982
- 24) शिगानी देवी 202002547983
- 25) कृष्णा मेहता 202002547849
- 26) उभा देवी मेहता 202002547991
- 27) वि. वि. सुषमा देवी 202002547988
- 28) उभा देवी 202002547986

4

- 29) कंचन देवी 202000615186
- 30) आलकली देवी 202002547987
- 31) जुही देवी 202900615204
- 32) Shashank Kumar 202002548066
- 33) पार्वी नालती देवी 202002547726
- 34) अमोक राम → 202002547927
- 35) Rajkumar Ram → 202007499764
- 36) अरुण कुमार → 202005573111
- 37) अमिता देवी → 202002547949
- 38) सुरेश मेहरा → 202002547714
- 39) [unclear]
- 40) ललिता देवी → 201800349742
- 41) अंजली कुमारी → 202002547731
- 42) उपकाश चारीया → 202002547715
- 43) अमित मेहरा → 202006693180
- 44) विन्ना देवी → 202006692082
- 45) अरिता देवी → 202800443790
- 46) ओम प्रकाश मेहरा → 202002547718
- 47) परमेश्वर मेहरा → 202002547719
- 48) अमिता देवी → 202006688002
- 49) संजू देवी → 202002547730
- 50) राजप राम → 202002547733
- 51) प्रदीप उरु → 202006716609
- 52) आशा देवी → 202002547721
- 53) [unclear]

5

प्रभुराम
जगदिश राम

202005578063
202002547747

202005573920

- 56 पंजा सुभा
- 57 सुन्नी देवी
- 58 प्रभुराम
- 59 विजय राम
- 60 संध्या चन्द्रिका
- 61 विजय राम
- 62 सरिता देवी
- 63 इमिती देवी
- 64 सुमिता देवी
- 65 रंजु देवी
- 66 शोनी देवी
- 67 मरुस्वती देवी
- 68 संध्या देवी
- 69 विजय राम
- 70 संध्या देवी
- 71 सरिता देवी
- 72 सुजिता मेहता
- 73 मानती देवी
- 74
- 75 विजय राम

202002547741
202002547748
202002547732
202005573819
202006686719
202002547739
202002547740
202002547738
202007499825
202800438247
202002547713
202002547734
202005578402
202006684047
202002547974
202002547732
202006683529

- 77) शीला देवी (6) 202005573486
- 78) Krishna Mahato 202002547829
- 79) महेन्द्र मेहता 202006716729
- 80) वरती देवी 202007213667
- 81) शिवा कुंठ 202006691832
- 82) प्रभा देवी 202006681990
- 83) मनोज साव 202002547845
- 84) रामकृष्ण मेहता 202002547851
- 85) नरेन्द्र महतो → 202002547880
- 86) शिवकुमार मेहता → 202007172837
- 87) शिव देवी → 202002547848
- 88) शिव देवी → 202002547850
- 89) शिव देवी → 202002547847
- 90) सुरेश मेहता → 202002547846
- 91) शीला देवी → 202005576020
- शिव देवी → 202005762619
- शिव देवी → 202002547956
- शिव देवी → 2020066933302
- शिव देवी → 202007158659
- शिव देवी → 202800328882
- शिव देवी → 202800731890
- शिव देवी → 202002547954
- शिव देवी → 202002547728
- शिव देवी →

(7)

20 200 25 47 746

20 200 25 47 729

20 200 25 47 767

20 200 25 47 943

20 200 25 47 832

20 200 66 82 246

20 200 55 78 092

20 280 05 98 115

20 200 72 58 929

20 200 25 47 952

20 200 25 48 060

20 200 25 47 836

20 200 25 47 837

20 200 66 82 504

20 200 66 82 785

20 200 25 47 834

20 200 25 47 835

20 200 74 99 857

20 200 25 47 833

20 200 66 82 107

20 200 25 47 760

20 200 25 48 059

20 200 55 77 965

20 200 25 47 922

श्यामश्री देवी

अमिल राजवार

प्रतिभा देवी

लालन मेहता

सन्नि देवी

सुनीता देवी

उर्मिला देवी

तलुका कुंवर

आशा देवी

वरिता देवी

सुंदरशुक्ल

अनन्य कुमार

मीना देवी

शीमा कुमारी

कुमारी देवी

प्रभा देवी

संघा कुमारी

तेतरी देवी

रिंकु कुमारी

कुला देवी

प्रिया देवी

किरण देवी

पु. नं. 101

- 122 प्रतिमा देवी 202006685178
- 123 निर्मला देवी 202007688287
- 124 रिंकु देवी 2028009229
- 128 रमेश राम → 202005574240
- 126 नि.श. ममता देवी → 20200669265
- 127 अमावली देवी — 202002547762
- 128 आशोक कुमार — 202006692694
- 129 सीमा देवी — 20200347925
- 131 बबिता कुमारी — 202006696120
- 132 मनिषा कुमारी — 202005575484
- 133 अफली देवी — 202002547933
- 134 संजय व्यास 202002547893
- 135 जगदीश राजवार — 202002547686
- 136 वैजनाथ मेहता — 202006692572
- 138 श्री बाला मेहता — 202002547828
- 139 प्रयाग राम → 202006693427
- 140 नि.श. नेतरी देवी → 202002547721
- 141
- 142 नि.श. राम जन्म मेहता → 202002547777
- 143 प्रमिला देवी → 202002547778
- 144 लक्ष्मी मेहता → 202002547774

(9)

26

- (142) अनीता देवी → 202002547775
- (146) शाशी कान्ठ कुमार् → 202006691029
- (147) नि. सि. फुलाजी मेहता → 202002547963
- (148) नि. सि. प्रमिला देवी → 202800349744
- (149) नि. सि. उर्मिला देवी → 202002547773
- (150) इन्द्रा देवी → 202002547781
- (151) नि. सि. सज्जु देवी → 202800778379
- (152) नि. सि. कैलाशी देवी → 202002547937
- (153) शमकुलारी देवी → 202002547962
- (154) सविता देवी → 202006683601
- (155) आम्बी कुमारी → 202002547761
- (158) इन्द्रा देवी → 202002547953
- नि. सि. सखीला देवी → 202002547985
- (157) अजला मेहता → 202002548061
- (158) सलो कुमार् → 202007213665
- (159) नि. सि. विद्युत देवी → 202007100282
- (160) इराव → 202007100282
- (161) अमरेष्वा मेहता → 202002547973
- (162) चन्द्रा मेहता → 202002547970
- नि. सि. मुनिथा देवी → 202002547919
- (164) इरवत मेहता → 202002547969
- (165) नि. सि. इलरिया देवी → 202002547921

- (185) बेवी देवी → 202007499636
- (186) उमेश मेहता → 202002547971
- (187) निरु देवी → 202007650445
- (188) फौजिला देवी → 202002547917
- (189) संतरा देवी → 202006693220
- (190) प्रणव देवी → 202006692996
- (191) ल. वि. सोमरी देवी → 202002547993
- (192) किरण देवी → 202002547827
- (193) Kamlesh Mehta → 202002547826
- (194) निरितीय देवी → 202002547712
- (195) शकुन देवी → 202005576637
- (196) नागेश्वर देवी → 202002547912
- (197) कमलिना देवी → 202007499795
- (198) विश्वनाथ देवी → 202002547753
- (199) सुनी देवी → 202002547635
- (200) रमेश मेहता → 2020067106320200671063
- (201) अंबिका देवी → 202006683806
- (202) रविजन देवी → 202002548014
- (203) लक्ष्मी देवी → 202002548028
- (204) शन शंकर देवी → 202002547972
- (205) जेठू लाल मेहता → 202005574576
- (206) अरिमा देवी → 202006716565

167	वि० सि० अवीला देवत	110	20 200 66 85 598
168	वि० सि० सखरीश देवत		20 200 25 47 922
169	धर्मजात मेहता		20 200 25 47 967
170	जाली मेहता		20 200 55 76 802
171	सि० सि० कुन्ती कुवर		20 200 25 47 946
172	मिणा देवी		20 200 25 47 757
173	सुप्रभा देवी		20 200 25 47 709
174	राहुल मेहता		20 200 55 77 135
175	Shankar Mehta		20 200 25 47 782
176	ज्वालन मेहता		20 200 55 72 112
177	माया देवी		20 28 00 38 42 97
178	कुतवी देवी		20 200 66 95 423
179	गीता देवी		20 200 74 99 823
180	अश्विनीकुमार मेहता		20 200 55 75 013
181	नारिंद कुमार मेहता		20 200 25 47 964
182	सुभाष सुंदर मेहता		20 200 25 48 065
183	शिमला देवी		20 200 25 47 916
184	ममता देवी		20 200 66 82 648
185	गुणी देवी		20 200 25 47 918
186	श्रीदानजली देवी		20 200 66 83 630

- 207 शंजु देवी → 202002547770
- 208 लनीका देवी → 202002547769
- 209 गोष्ठा देवी → 202007688346
- 210 सुरेशराम → 202002547772
- 211 ममता देवी → 202002547779
- 212 प्रदिमा देवी → 202006685153
- 213 धनशुभा उर्वर → 202005577637
- 214 विरेंद्र कुमा (मेहता) → 20200257771
- 215 कामलका राम → 202002548035
- 216 मोहन शंकर → 202002548031
- 217 जिमीला देवी → 202800924754
- 218 फूलकुमारी देवी → 202006717073
- 219 अशुभा उर्वर → 202002548039
- 220 सविता देवी → 202006692046
- 221 विमली देवी → 202002547766
- 222 धीरज मेहता → 202800924753
- 223 जीता देवी → 202002548037
- 224 अशोक उर्वर → 202005813073
- 225 सुख उर्वर → 202005812955
- 226 निशी लखन उर्वर → 202002547982
- 227 निशी मंगरु मेहता → 202002548029
- 228 निशी प्रवेश उर्वर

9-22-23 12:08 PM

Swire Visa Reports

Index	Passenger	Village	Group	Country	Responsible Person	SMG Type	Active	Total Members	Group Format	Entry Date	Can	Medium	Status	Group Ref	SMG Ref	Day	Back	Cost
11	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
4	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
9	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
4	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
5	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
6	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
8	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
8	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Friday	500	10
9	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
10	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
11	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
11	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
11	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
13	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
✓ 14	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
15	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
16	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
17	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
18	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
18	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Wednesday	500	10
19	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
20	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Thursday	500	10
21	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
22	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Wednesday	500	10
23	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Tuesday	500	10
24	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
25	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
26	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Sunday	500	10
27	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Friday	500	10
28	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Wednesday	500	10
29	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
30	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
31	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Friday	500	10
32	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10
33	Mohamad	KACAL	KURMA	Malaysia	UJIF- NPLM	General SMG	15	0	20110114	20110114						Monday	500	10

309

25

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मेदिनीनगर, पलामू।

विषय :- देवी एस.एस.जी. अनुज्ञप्ति संख्या 82-12 दुकान का उच्चस्तरीय जाँच कराकर विधिसम्मत करवाई करने के सम्बंध में।

प्रसंग :- अंचल अधिकारी -सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहम्मदगंज के पत्र पत्रांक 856 दिनांक 04.09.2023 एवं पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत कादल कुर्मी के हस्ताक्षरीत पत्र दिनांक 15.10.2023 निलम्बन मुक्त।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन सादर सूचित कर कहना है कि देवी एस.एस.जी. अनुज्ञप्ति संख्या 82-12 के अनुज्ञप्तिधारी के पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर गरीबों का मिलने वाला हक को मारकर विशेष व्यक्तियों का लाभ पहुँचा रहे हैं, जो निम्नांकित बिन्दु जाँच से साफ पता चल जाएगा।

1. अंचल अधिकारी -सह- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 856 दिनांक 04.09.2023 के निर्गत पत्र में जिक्र है कि दिनांक 03.09.2023 को औचक निरक्षण में दुकान के स्टोक में मात्र 2.50 कि० वि० खाद्यान शेष है जिससे 30 प्रतिशत कार्डधारियों को राशन वितरण किया जाना सम्भव नहीं है, जो जाँच का बिन्दु है।
2. माह सितम्बर 2023 में वितरण हेतु देवी एस.एस.जी. को पी.एच. कार्डधारियों का वितरण हेतु कुल 1720 युनिट के बीच वितरण करने हेतु चावल मात्र 4471.760 किलोग्राम और गेंहु 1577 किलोग्राम उपलब्ध कराया गया जिसके कारण 544 युनिट कार्डधारियों के बीच राशन वितरण नहीं हो सका साथ ही AAY कार्डधारी दस के बीच विभाग द्वारा मात्र 178.600 किलोग्राम खाद्यान उपलब्ध कराया गया जिसके कारण पांच कार्डधारियों को राशन नहीं मिल पाया राशन कम विभाग द्वारा क्युं दिया गया जो जाँच का बिन्दु है।
3. देवी एस.एस.जी. अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2023 के माह फरवरी में 1092 किलोग्राम अप्रैल में 1092 किलोग्राम मई 1092 किलोग्राम और जून 1092 किलोग्राम कुल 4374 किलोग्राम नमक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जबकि उक्त उक्त माह में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण नहीं किया गया जो ई० पॉश मशीन का वितरण पंजी जाँच से पता चलता है जो जाँच का बिन्दु है।
4. देवी एस.एस.जी. अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2023 के माह जनवरी में 30 किलोग्राम अप्रैल में 30 किलोग्राम मई में 30 किलोग्राम एवं जून में 30 किलोग्राम कुल 120 किलोग्राम चीनी उठाव किये जो AAY कार्डधारियों के बीच वितरण किया जाना था जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा

वितरण नहीं किया गया जो ई0 पॉश मशीन का वितरण पंजी जाँच से पता चलता है जाँच का बिन्दु है।

5. देवी एस.एस.जी. के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष द्वारा गाँव दबंग व्यक्ति उपेन्द्र यादव उर्फ उपेन्द्र महतो को दुकान का संचालन करने हेतु शौप रखे है और श्री उपेन्द्र जी के द्वारा दुकान में टेग सभी राशन कार्डधारियों में से 95 प्रतिशत कार्डधारियों का राशन कार्ड जब्त कर रखे है, जो जाँच के समय राशन कार्डधारियों से किस-किस माह कितनी-कितनी सामग्री प्राप्त हुई है जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राशन कार्ड में अंकित करना अनिवार्य रहता है जो नहीं किया गया है जो जाँच का विषय बिन्दु है।

6. देवी एस.एस.जी. के संरक्षण धारियों द्वारा साजिश के तहत अगस्त माह 2023 में नमक एवं चीनी का उठाव नेट प्रोसेस दिख रहा है जो जाँच का बिन्दु है।

7. देवी एस.एस.जी. को वर्ष 2023 में जनवरी में 396 ली0 फरवरी में 396 ली0 मार्च में 410 ली0 अप्रैल में 410 ली0 मई में 369 ली0 जून में 369 ली0 जुलाई में 369 ली0 अगस्त में 371 ली0 किरोसीन तेल उठा कर राशन कार्डधारियों के बीच वितरण हेतु जिला से आवंटन निर्गत किया गया लेकिन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किरोसीन तेल उठाकर वितरण नहीं किये जिससे कार्डधारियों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जो जाँच का विषय बिन्दु है।

8. देवी एस.एस.जी. अनुज्ञप्ति संख्या 82-12 के अनुज्ञप्तिधारियों समुह का दुकान अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से आजतक समुह का संचालन बैठक पंजी और लेखा - जोखा पंजी के जाँच से साफ पता चल जाएगा कि गरीबों कार्डधारियों को मिलने वाला खाद्यान राशन का कितना - कितना किस-किस माह में हेर - फेर हुई है जो जाँच का विषय बिन्दु है।

अतः श्रीमान् महोदय से प्रार्थना है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर उचित स्तरीय जाँच कराकर विधी सम्मत करवाई की/करायी जायें ताकि गरीबों को मिलने वाला लाम सत् प्रतिशत आम कार्डधारियों को मिल सकें। इस कार्य के लिए श्रीमान् महोदया का सदैव अभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

राम देव महतो

दि: 26-10-2023

ग्राम + पो. - कादल कुशी

माला - मोहम्मद गज

जिला - पलामू (शिवबरग)

मो. नं. 9111111111

367

सेवा में

जिला आपूर्ती पदाधिकारी महोदया,
मेदिनीनगर, पलामू ।

विषय:- प्रखंड- मोहम्मदगंज अन्तर्गत ग्राम- कादलकुर्मी में संचालित जनवितरण प्रणाली दुकान देवी SSG अनुज्ञापति संख्या- 82-12 का उच्च स्तरीय जॉच करा कर विधि सम्मत करवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विनिता देवी, पति- श्री बलि मेहता, ग्राम पंचायत कादलकुर्मी का वर्तमान उपमुखिया हूँ और ग्राम- कादलकुर्मी में निवास करती हूँ और दिनांक 15.10.2023 दिन- रविवार समय- करीब- 04:40 pm में अपनी घर में दैनिक कार्य कर रही थी उसी समय मेरे गाँव के ही उपेन्द्र यादव उर्फ उपेन्द्र महतो मेरे घर पर आये और बोले की आप मेरे द्वारा हमेशा अपने राशन कार्ड पर अपना राशन लेती है मेरा दुकान C.O साहब निलंबित कर दिये है आप इसमें साईन कर दिजिए इस आवेदन पर पंचायत समिती सदस्य और कई वार्ड सदस्य साईन कर दिये है तो मेरा निलंबन मुक्त हो जाएगा । मुखिया जी बोले है की जाईए सभी से ककरा कर आईए तो हम भी कर देगे । तो मैं बोली की गाँव के लोग बोल रहे है कि बहुत लोगों का राशन नहीं मिला है और मुझे हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे है ? जाइये मुखिया जी से कहिए की पंचायत सचिवालय में समिक्षा बैठक कराये समिक्षा बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद हम हस्ताक्षर करेगे । तभी उपेन्द्र यादव मेरे समिप आ गये वे शराब के नशे में थे मेरे उपर गरम हो गये तभी मेरे टोला के और लोग आ गये वे लोग बोले की काहे मुह लग रही हो दस्तखत कर दो पुरा गाँव भांड में जाए । जब मुखिया जी पंचायत में खाद्य आपूर्ती विभाग जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पति- को निगरानी समिती के अध्यक्ष/मंत्री बनाये है तो तुमको टर-टर करने से क्या होगा तो मैं हस्ताक्षर कर दी मैं मुह लगना नहीं चाही तभी उक्त हस्ताक्षर आवेदन पर अपने ही उपेन्द्र यादव ही मेरा मुहर उठा कर उल्टा और सीधा दो बार मारें और बोले की चलो काम हो गया और चले गये बाद में पता चला की दिनांक 03.09.2023 को प्रखंड आपूर्ती पदाधिकारी द्वारा जॉच कर गोदाम में राशन नहीं था और कई राशन कार्ड धारी लोग राशन लेने से बंचित रह गये और साथ ही सितम्बर 2023 का भी कई कार्ड धारीयों को राशन नहीं मिला है । उपेन्द्र यादव के पास पहले से ही स्टॉक में राशन बचने के कारण राशन कम मिला था जो जॉच का विषय है ।

अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि उपर्युक्त बातों

PTO

पर सहानुभुती पूर्वक विचार कर विधि सम्मत करवाई करने / निलंबन रखने /
निलंबन मुक्त / अनुज्ञाप्ती रद्द करने की कृपा कि जाए । इस कार्य के लिए
मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा ।

आपका विश्वासी

धिनीता देवी

31/10/23

मोब-9973509582

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद गेज पलाय

विषय: पन्ना सिंग जनवितरण प्रणाली ^{दुर्लभ} ग्राहक लाइव सुची
में संश्लेषित करने के संबंध में

साहोकार्य, विवेक पुर्वक लक्ष्य है कि हमारे ग्राहक
में दो जनवितरण प्रणाली ^{दुर्लभ} रक्त
लेकिन लगभग तीन माह से निर्लेप
विशेष लाइव लगभग सात से ^{से} लाइव
को इच्छित मितर दुर समय लेने को
पड़ता है। इस आपीणो के साथ ही
मान्य है।

अतः श्री-मज से प्रार्थना है
पन्ना: सिंग साभालपा को विवे
करने कि लक्ष्य कि जाए।
आपका विश्वासी

Signature
13/12/23

शिव कुमार
13/12/2023
पदाधिकारी

राम हैव महतो मो.नं. 74618
पत्नी महता 997350950
अश्वि लैम महता 9304290
शिव कुमार
Binay Kumar 8252351
पता: राम 91994014

आयुक्त उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(आपूर्ति शाखा)

दूरभाष सं० - 06562-223116 Email ID- food.palamu@gmail.com

आदेश

जन वितरण प्रणाली विक्रेता जय मा एस०एच०जी०, अनु०स०-82/11, ग्राम-कादलकुर्मी, प्रखण्ड-मोहम्मदगंज के संचालक के विरुद्ध श्री रामदेव महतो द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज से करायी गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज के पत्रांक 446/ दिनांक 16.05.2020 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि जांच के क्रम में विक्रेता के साथ संबद्ध कार्डधारियों से पूछताछ किए जाने पर निम्न अनियमितता पायी गयी है -

1. श्रीमती आशा देवी के पति श्री मुन्ना मेहता के द्वारा बयान दिया गया है कि उसकी पत्नी के नाम से निर्गत अत्योदय राशनकार्ड पर विक्रेता द्वारा 20 रु० लेकर 20-20 कि०ग्रा० राशन दिया गया है। पुनः लाभूक द्वारा शिकायत किये जाने पर माह अप्रैल 2020 में बुलाकर 200 कि०ग्रा० खाद्यान्न दिया गया। इससे स्पष्ट है कि लाभूक को जब से राशन वितरण किया जा रहा है, 35 कि०ग्रा० के स्थान पर 20 कि०ग्रा० ही राशन उपलब्ध कराया गया है।
2. जांच के क्रम में पाया गया कि समूह के अध्यक्ष सगीता देवी से पूछताछ के क्रम में समूह के बैठक एवं छठाव-वितरण से संबंधित संधारित पजी की मांग किए जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि समूह का संचालन नियमानुकूल नहीं किया जा रहा है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, जांच के समय लाभूकों से खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने के संबंध में कार्डधारियों से प्राप्त बयान एवं सदस्यों द्वारा समूह का संचालन सही ढंग से नहीं किये जाने के कारण जन वितरण प्रणाली विक्रेता जय मा एस०एच०जी०, अनु०स०-82/11, ग्राम-कादलकुर्मी, प्रखण्ड-मोहम्मदगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा क्यों नहीं आपकी अनुज्ञापित रद्द करने की कार्यवाही की जाय? निलंबित विक्रेता के साथ संबद्ध सभी कार्डधारियों को उसी पंचायत के नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता देवी एस०एच०जी०, अनु०स०-84/12, ग्राम-कादलकुर्मी, प्रखण्ड-मोहम्मदगंज के साथ संबद्ध किया जाता है। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहम्मदगंज को आदेश दिया जाता है कि निलंबित विक्रेता के भंडार में उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न एवं ई-पॉश मशीन टैग विक्रेता को हस्तगत कराते हुए अपनी देख-रेख में रोष लाभूकों को ससमय निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(Signature)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
-सह-
अनुज्ञापन पदाधिकारी, पलामू।

डॉप्रांक 785/, दिनांक 16-5-2020

- प्रतिलिपि - निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेता जय मा एस०एच०जी०, अनु०स०-82/11, ग्राम-कादलकुर्मी, प्रखण्ड-मोहम्मदगंज एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता देवी एस०एच०जी०, अनु०स०-84/12, ग्राम-कादलकुर्मी, प्रखण्ड-मोहम्मदगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सहायक गोदाम प्रबंधक, मोहम्मदगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहम्मदगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि संबंधित जय मा एस०एच०जी० विक्रेता को पत्र का तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहम्मदगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद/जिला प्रबंधक, रा०खा०नि०, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - जिला जन शिकायत एवं निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(Signature)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
-सह-
अनुज्ञापन पदाधिकारी, पलामू।

कार्यालय अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज, पलामू।

पत्रांक... 379 / दिनांक 29 / 03 / 2023।

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
मोहम्मदगंज।

सेवा में,

प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक
JSLPS मोहम्मदगंज प्रखण्ड।

विशय:- भारत सरकार (NRLM) एवं JSLPS के प्रावधानों के तहत PDS संचालित समूहों का निबंधन कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक JSLPS/PAL/BMMU/MoH/127 दिनांक 29.03.2023।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में कहना है कि भारत सरकार (NRLM) एवं JSLPS के प्रावधानों के तहत PDS संचालित समूहों का निबंधन कराने के लिए अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में मोहम्मदगंज प्रखण्ड अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह के तहत संचालित PDS दुकानों की सूची भेजते हुए अनुरोध है जैसे अनिबंधित दुकानों का निबंधन करने की कृपा की जाय।

क्र०	जन वितरण प्रणाली दुकानदार का नाम	अनुज्ञप्ति संख्या	पंचायत का नाम
1	2	3	4
1	DEVI SHG	84-12	कादलकुर्मी
2	GUPTA SHG	36-2013	रामबाँध
3	JAGDEV SWAM SAHAYATA SAMUH	34-09	मोहम्मदगंज
4	JANVIKASH MAHILA SWAM SAHAYATA SAMUH	61-2011	मोहम्मदगंज
5	JAY MA SHG	82-11	कादलकुर्मी
6	JHARKHAND VIKASH SWAM SAHAYATA SAMUH	13-2009	गोडाडीह
7	LAXMI SHG	90-12	रामबाँध
8	LAXMI SWAM SAHAYATA SAMUH	41-2009	लटपौरी
9	MAA SHARDA SWAYAM SAHYATA SAMUH	35-2009	कोल्हुआ सोनबरसा
10	MAHILA UTHAN SWAM SAHAYATA SAMUH	11-2009	गोडाडीह
11	PARWATI SWAYAM SAHAYATA SAMUH	7-2009	लटपौरी
12	PRABHAT SWAM SAHAYATA SAMUH	73-2011	लटपौरी

13	SHOBHA SHG	97-13	कादलकुर्मी
14	SUDHA SWAM SAHAYATA SAMUH RANADIH	65-2011	पंसा
15	SUNITA SWAYAM SAHAYATA SAMUH	58-2010	पंसा
16	VANDANA SHG	100-13	पंसा

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

विश्वासभाजन

६० -

अंचल अधिकारी-सह-
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
मोहम्मदगंज।

ज्ञापांक 379 / दिनांक 29/03/2023 /

प्रतिलिपि-सभी सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली दुकानदार मोहम्मदगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS मोहम्मदगंज प्रखण्ड से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर समूह का निबंधन कराना सुनिश्चित किया जाय।

अंचल अधिकारी-सह-
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
मोहम्मदगंज।

301

38

कार्यालय, अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज, पलामू।

पत्रांक 856/ दिनांक 04/09/2023

प्रेषक,

अंचल अधिकारी-सह-
प्रखण्ड आपूर्ति पदा० मोहम्मदगंज।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
पलामू।

विषय :- जन वितरण प्रणाली दुकानदार DEVI SHG अनुज्ञप्ति संख्या 84-12 को निलंबित करने के सम्बन्ध।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि स्थानीय मुखिया ग्राम पंचायत-कादलकुर्मी के द्वारा दूरभाष पर दिये गये सूचना पर दिनांक 03.09.2023 को गोदाम प्रबंधक मोहम्मदगंज के साथ मौजा-कादलकुर्मी अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदार DEVI SHG के गोदाम का औचक जाँच किया गया। गोदाम में मात्र 2.50 क्वि० अवशेष पाया गया। जन वितरण प्रणाली दुकानदार DEVI SHG के द्वारा माह अगस्त माह में मात्र 70 प्रतिशत ही कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया है। गोदाम में अवशेष खाद्यान्न 2.50 क्वि० से 30 प्रतिशत कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न वितरण किया जाना संभव नहीं है। जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा बताया गया कि अधिकतम कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है, जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अनुज्ञप्तिधारी DEVI SHG, अनुज्ञप्ति संख्या 84-12 को निलंबित करते हुए उक्त दुकान अनुज्ञप्तिधारी JAGDEV SWAM SAHAYATA SAMAHU, अनुज्ञप्ति संख्या 34-09 के साथ सम्बद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

विश्वासभाजन

04/09/23
अंचल अधिकारी-सह-
प्रखण्ड आपूर्ति पदा० मोहम्मदगंज।

कार्यालय, अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज, पलामू।

पत्रांक 857/ दिनांक 04/09/2023

प्रेषक, अंचल अधिकारी-सह-
 प्रखण्ड आपूर्ति पदा10 मोहम्मदगंज।

सेवा में, जिला आपूर्ति पदाधिकारी
 पलामू।

विषय :- जन वितरण प्रणाली दुकानदार JAY MA SHG अनुज्ञप्ति संख्या 82-11 को निलंबित करने के सम्बन्ध।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि प्राप्त सूचना पर दिनांक 03.09.2023 को गोदाम प्रबंधक मोहम्मदगंज के साथ मौजा-कादलकुर्मी अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदार JAY MA SHG के गोदाम का औचक जॉच किया गया। गोदाम में मात्र 1.00 क्वि0 खाद्यान्न अवशेष पाया गया। जन वितरण प्रणाली दुकानदार JAY MA SHG के द्वारा माह अगस्त माह में मात्र 61 प्रतिशत ही कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया गया है। गोदाम में अवशेष खाद्यान्न 1.00 क्वि0 से 39 प्रतिशत शेष कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न वितरण किया जाना संभव नहीं है। जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा बताया गया कि अधिकतम कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है, जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अनुज्ञप्तिधारी JAY MA SHG अनुज्ञप्ति संख्या 82-11 को निलंबित करते हुए उक्त दुकान अनुज्ञप्तिधारी BHAVESH KUMAR SINGH, अनुज्ञप्ति संख्या 18-91 के साथ सम्बद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी-सह-
 प्रखण्ड आपूर्ति पदा10 मोहम्मदगंज।

04/09/23

Palamu, Block: MCHAMAGANI

Sl. No.	Name	Category	Status	Mobile No.	Phone No.	Address	Allocated	Weight	Value	Percentage	
1	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
2	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
3	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
4	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
5	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
6	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
7	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
8	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
9	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
10	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
11	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
12	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
13	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
14	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
15	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
16	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
17	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
18	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
19	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
20	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
21	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
22	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
23	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
24	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
25	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
26	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
27	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
28	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
29	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
30	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
31	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
32	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
33	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
34	SHRI KISHOR SINGH	Online	Mapped	1141140916	1141140916	305	1479	0	7395	30.34	
Total						8762	41514	268.99	208480	67730.76	32.25

28

37

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक सं० :- 1312-223118

Email ID- food.palamu@gmail.com

आदेश

प्रखंड स्तर पर महिला समूह द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान का अंकेक्षण का कार्य JSLPS के द्वारा किया जाना है।

अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत महिला समूह को प्रदत्त जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति से संबंधित सूची पूर्ण विवरणी के साथ JSLPS को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अंकेक्षण का कार्य सुगमता पूर्वक पूर्ण किया जा सके।

क्र०	प्रखंड का नाम	पंचायत	समूह का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०	अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष का नाम	समूह का स्वता सं०

26/10/23
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

ज्ञापक 1312/आ०, दिनांक 26/10/23/
प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं अनुपालन प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, JSLPS पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।

26/10/23
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।

समक्ष,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार
सह

उपनिदेशक खाद्य, पलामू।

प्रथम अपील (सूचना) सं०2023

रामदेव महतो ग्राम + पोस्ट कादल कुर्मी, थाना मोहम्मदगंज, जिला पलामू,

राज्य झारखण्ड, पिन कोड नं० - 822120 मो० नं० - 7461815351

अपीलार्थी

बनाम

जन सूचना पदा० -सह- प्रखण्ड जिला आपूर्ति

पदाधिकारी-सह अनुज्ञापि पदाधिकारी मेदिनीनगर, पलामू

उत्तरादीय

प्रथम सेवा अपील अभ्यआवेदन निम्न प्रकार है :-

- (1) अपीलार्थी का नाम एवं पता यथोक्त
- (2) जन सूचना पदा० का नाम एवं पता यथोक्त
- (3) सूचना आवेदन एवं शुल्क देने की तिथि -दिनांक 26.10.2023 भारतीय डाक द्वारा
- (4) सूचना प्राप्ति की तिथि अब तक अप्राप्त
- (5) प्रथम सूचना अपील करने का कारण सूचना अप्राप्त रहने के कारण
- (6) प्रथम सूचना अपील करने का आधार..... (1) सूचना अधिकार आवेदन दिनांक 26.10.2023
(2) सूचना शुल्क का साक्ष्य भारतीय पोस्टल
ऑर्डर संख्या 8D712819, 8D712822

(7) वाञ्छित अनुतोष -

- (1) यथाशीघ्र सूचना नियमानुसार निशुल्क सूचना निर्गत कराने का आदेश पारित किया जाये।
- (2) सूचना निर्गत करने में विलंब करने वाले कर्मी/पदा० के विरुद्ध विलंब अवधि तिथि गिनती कर/ जाँच कर प्रपत्र का गठित करके उनके संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को प्रेषित आदेश पारित की जाय।
- (3) सुनवाई की तिथि की सूचना निर्बंधित डाक से सुनवाई की तिथि से 48 घंटे पूर्व मुझे सूचना दी जाये।
- (4) अन्य उचित आदेश अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया जाय।

अपीलार्थी का हस्ताक्षर

राम देव महतो
दिनांक 29-11-2023

34

292

राम देव महतो
29/11/2023

सेवा में

जन सूचना पदाधिकारी,

-सह-

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

-सह-

अनुज्ञप्ति पदाधिकारी मेदिनीनगर, पलामू।

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आवेदन।

महाराज,

कृपया मुझे आठ बिन्दुओं पर बिन्दुवार, पृष्ठवार, पठनीय पृष्ठ की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी जायें। मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10/- ₹0 से सूचना शुल्क के रूप में 4/- ₹0 कुल 14/- ₹0 का भारतीय पोस्ट ऑर्डर संख्या 8D712819 एवं 8D712822 दे रहा हूँ जो मेदिनीनगर डाकघर में अदा होगी। मांगी गई सूचना निम्न है -

1. अंचल अधिकारी सह प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मदगंज द्वारा निर्गत पत्र 850 एवं 851 दिनांक 30.08.2023 और पत्रांक 856 एवं 857 दिनांक 04.09.2023 की प्रति जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू को प्राप्त है उक्त सभी प्राप्त पत्र के आलोक में नियमानुसार क्या - क्या कारवाई किस - किस जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर की गई है की गई पूर्ण कारवाई की प्रति उपलब्ध करायी जाये।
2. प्रखण्ड मोहम्मदगंज के अन्तर्गत सभी आठों पंचायत में किस - किस पंचायत में कौन - कौन से जन लिखित सूचना साक्ष्य सहित मुझे दी जायें।
3. ग्राम पंचायत कादल कुर्मी में कुल कितने जन वितरण प्रणाली दुकान जन संख्या अनुपात होनी चाहिए और कितनी है (PTG दुकान को छोड़कर) जिसकी लिखित सूचना साक्ष्य सहित मुझे दी जायें।
4. जय मी SSG और देवी SSG का ऑडिट वार्षिक हो रहा है या नहीं ? जिसकी लिखित सूचना साक्ष्य सहित मुझे उपलब्ध करायी जायें।
5. ग्राम कादल कुर्मी में संचालित जय मी SSG और देवी SSG द्वारा अगस्त माह 2023 और सितम्बर माह 2023 में किन - किन लाभुकों को राशन नहीं दिये है या लाभुकों द्वारा राशन नहीं लिया गया है जिसकी सूची मुझे उपलब्ध करायी जायें।
6. अप्रैल 2023 का राशन वितरण PTG दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 1/17 का कार्डधारियों का वितरण पजी मुझे उपलब्ध करायी जायें।
7. जय मी SSG अनुज्ञप्ति संख्या 82/11 और देवी SSG अनुज्ञप्ति संख्या 84/12 अनुज्ञप्ति निर्गत की तिथि से सूचना निर्गत करने की तिथि तक कितनी - कितनी बार निलम्बित किये गये है सभी निलम्बित निर्गत पत्र की प्रति और सभी निलम्बन मुक्त निर्गत पजी साक्ष्य सहित मुझे उपलब्ध करायी जायें।
8. जय मी SSG अनुज्ञप्ति संख्या 82/11 और देवी SSG अनुज्ञप्ति संख्या 84/12 को अगस्त एवं सितम्बर 2023 माह में कितनी - कितनी खाद्यान (राशन) कम - कम उपलब्ध कराया गया है? और किस - किस कारण से जिसकी सूचना साक्ष्य सहित मुझे दी जायें।
9. ग्राम कादल कुर्मी के कार्डधारियों द्वारा दिनांक 29.09.2023 को एक शिकायत /सुझाव पत्र भवदीय के कार्यालय में दी गई थी उक्त आवेदन पर क्या - क्या कारवाई की गई है? सभी कारवाई की प्रति मुझे उपलब्ध करायी जायें।

आपका विश्वासी

राम देव जहतो

दि: 26-10-2023

ग्राम + पोस्ट - कादल कुर्मी,

धाना - मोहम्मदगंज, जिला - पलामू,

झारखण्ड, पिन - 822120

समक्ष,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार

सह

उपनिदेशक खाद्य, पलामू।

प्रथम अपील (सूचना) सं०2023

रामदेव महतां ग्राम + पोस्ट कादल कुर्मी, थाना मोहम्मदगंज, जिला पलामू,

राज्य झारखण्ड, पिन कोड नं० - 822120 मो० नं० - 7461815351

अपीलार्थी

बनाम

जन सूचना पदा० -सह- जिला आपूर्ति

पदाधिकारी-सह अनुज्ञप्ति पदाधिकारी मेदिनीनगर, पलामू

उत्तरा

प्रथम सेवा अपील अभ्यआवेदन निम्न प्रकार है -

- (1) अपीलार्थी का नाम एव पता यथोक्त
- (2) जन सूचना पदा० का नाम एव पता यथोक्त
- (3) सूचना आवेदन एव शुल्क देने की तिथि दिनांक 29.11.2023
- (4) सूचना प्राप्ति की तिथि अब तक अद्र. ...
- (5) प्रथम सूचना अपील करने का कारण सूचना अप्राप्त रहने के कारण
- (6) प्रथम सूचना अपील करने का आधार (1) सूचना अधिकार आवेदन दिनांक 26.10.20
(2) सूचना शुल्क का साक्ष्य भारतीय पोस्टल
ऑर्डर संख्या 12D064081, 12D06-

(7) वांछित अनुतोष -

- (1) यथाशीघ्र सूचना नियमानुसार निशुल्क सूचना निर्गत कराने का आदेश पारित किया जाये।
- (2) सूचना निर्गत करने में विलंब करने वाले कर्मी/पदा० क विरुद्ध विलंब अवधि तिथि गिनती कर/ जाँच कर प्रपत्र का रटि करके उनके संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी को प्रेषित आदेश की जाय।
- (3) सुनवाई की तिथि की सूचना निबंधित डाक से सुनवाई तिथि से 48 घंटे पूर्व मुझे सूचना दी जायें।
- (4) अन्य उचित आदेश अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया जाय

930796422014 144-827-807968220
P. No. 12D064081/2023
Counter No. 12, 144-827-807968220
Date: 29/11/2023
PINKETI, P. No. 12, 144-827-807968220
Proprietor: P. No. 12, 144-827-807968220
Kolkata, West Bengal
Article 12, 144-827-807968220
Track on www.12D064081.com
12D064081/2023 (Dear Sirs, See Site)



R.O.
Col.
Ad.
P.O.
T.O.
D.O.

अपीलार्थी का हस्ताक्षर

राम देव महतां
दि: 08-01-2024

ग्राम + पो० - कादल कुर्मी

थाना - मोहम्मदगंज

जिला - पलामू

झारखण्ड 822120

प्राप्त
29.4.24
293

सेवा में,

श्री दिलीप तिर्की, निदेशक
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

विषय - भवदीय कार्यालय के निबंधन संख्या-PMOPG/D/2024/0063173 दिनांक 08.03.24 के आलोक में संधारित झारखंड सरकार के गिरिभांस संख्या- 304529 में दिनांक 11.04.24 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू के द्वारा अपलोड किए गए गलत एवं आधारहीन तथ्य के विरुद्ध स्वतंत्र जाँच कराकर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उक्त विषयक सनिवेदन कहना है कि मैं मोहम्मदगंज थाना अर्न्तगत कादलकुर्मी ग्राम मे महिला समूह के नाम पर डिलरशीप निर्गत कर उससे अवैध वसूली करने तत्पश्चात लंबी अवधि से निलंबित रहने के बावजूद नया समूह का डिलरशीप देने के बजाय अवैध वसूली करने के लिए दूसरे ग्राम में डीलर का प्रभार देने को कार्य किया गया है जिसके विरुद्ध मैं शिकायत किया था जो भवदीय कार्यालय के गिरिभांस संख्या -304529 के रूप में संधारित है। उक्त गिरिभांस सं-304529 में दिनांक 11.04.2024 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा गलत एवं आधारहीन तथ्य अपलोड किया गया है कि संबंधित शिकायत को उनके द्वारा सुनवाई कर मामले को निस्तारित कर दिया गया है और जनवितरण चालू कर दिया गया है जिसकी शिकायत नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस समूह की शिकायत की गयी है उसका सुनवाई के लिए न तो नोटिस निर्गत किया गया है और न ही सुनवाई किया गया है। साथ ही शिकायत वाली जनवितरण प्रणाली की दुकान अब तक संचालित नहीं किया गया है, जबकि इसे निरस्त कर नये महिला समूह को अनुज्ञप्ति निर्गत कर देना चाहिए था परन्तु विभाग द्वारा ऐसा नहीं करके भ्रष्टाचार के तहत गलत कथन किया गया है तथा मामले को समाप्त करने के लिए उक्त गलत एवं आधारहीन तथ्य अपलोड कर दिया गया है।

उल्लेख करना है कि भवदीय कार्यवाही में आरोपित पदाधिकारी से ही प्रतिवेदन का मांग किया गया और आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित गलत एवं आधारहीन प्रतिवेदन पर मामला को समाप्त कर दिया गया है जो नियम विरुद्ध एवं अनुचित है।

अतः अनुरोध है कि भवदीय कार्यालय के गिरिभांस संख्या - 304529 में दिनांक 11.04.24 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू द्वारा अपलोड किए गए गलत तथ्य के विरुद्ध उच्च स्तरीय टीम गठीत कर समस्त 16 बिंदुओं पर बिन्दुवार स्वतंत्र जाँच कराकर कार्रवाई करने कराने की असीम कृपा की जाय। अन्यथा इसकी जवाबदेही आप समस्त संबंधित पदाधिकारियों की होगी।

प्रतिलिपि - 1. उपायुक्त, पलामू,

2. शवाहर शास्त्री शारदा
राम शवाहर शास्त्री शर्मा

विश्वासभाजन

राम देव मेहता
दिनांक 18-04-2024
रामदेव मेहता

कादलकुर्मी, मोहम्मदगंज, पलामू
दिनांक 18.4.2023

मो. नं. 7461815351

veef

30/4/24

30/4/24

753
30.4.24

18-4-24